रजिस्ट्री सं. डी.एल.–(एन)04/0007/2003–24
REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—24
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी.जी.एल.-अ.-11122024-259352
CG-DL-E-11122024-259352
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II – खंड 1
PART II — Section 1
प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 20] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2024/अग्रहायण 20, 1946 (शक)
No. 20] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2024/AGRAHAYANA 20, 1946 (Saka)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024/अग्रहायण 20, 1946 (शक)

संसद का निम्नलिखित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति 11 दिसम्बर, 2024 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:–

भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024
2024 का अधिनियम सं. 16

[11 दिसम्बर, 2024]

वायुयानों के डिजाइन, विनिर्माण, अनुरक्षण, कब्जे, उपयोग, प्रचालन, विक्रय, निर्यात और आयात के विनियमन और नियंत्रण एवं इनसे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा इसे निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है:–

अध्याय I
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागूकरण और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का नाम भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 होगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा और यह निम्न पर लागू होगा–

(क) भारत के नागरिक चाहे वे कहीं भी हों;

(ख) भारत में पंजीकृत वायुयानों तथा उन वायुयानों पर बैठे व्यक्तियों पर, चाहे वे कहीं भी हों;

(ग) विमान और विमान पर बैठे व्यक्ति, भारत से बाहर पंजीकृत परंतु जो उस समय भारत में या भारत के ऊपर हों; तथा

(घ) ऐसे वायुयान पर जिसका संचालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता हो जो भारत का नागरिक नहीं है, परंतु जिसका मुख्य व्यवसाय स्थान या स्थायी निवास भारत में है।
(3) यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।

परिभाषाएँ

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(1) "विमानक्षेत्र" से जल या थल का निश्चित या सीमित ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जो पूर्णतः या अंशत: वायुयान के उतरने या उसके प्रस्थान के लिए आशयित है और इसके अन्तर्गत उस पर और उससे जुड़े हुए सभी भवन, शेड, यान, प्रस्तम्भ और अन्य संरचनाएं आती हैं;

(2) किसी विमानक्षेत्र के संबंध में, "विमानक्षेत्र निर्देश बिन्दु" से वह अभिहित बिन्दु अभिप्रेत है जो वायुयान के प्रस्थान या उतरने के लिए आरक्षित विमानक्षेत्र के भाग में ज्यामितीय केन्द्र पर या उसके समीप क्षैत्रिज समतल में स्थापित किया जाए;

(3) "वायुयान" से ऐसी कोई मशीन अभिप्रेत है जो वातावरण से वायु की प्रतिक्रिया द्वारा, पृथ्वी की सतह के प्रति वायु की प्रतिक्रियाओं से भिन्न, अवलम्ब प्राप्त कर सकती है;

(4) "वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो" से अभिप्राय धारा 7 के अधीन गठित वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो से है;

(5) "नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो'' से धारा 5 के अंतर्गत गठित नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो अभिप्रेत है;

(6) "डिजाइन" का अर्थ ऐसा डेटा अथवा सूचना है जिससे उड़नयोग्यता के निर्धारण के उद्देश्य से वैमानिकी प्रकार के किसी उत्पाद, उससे संबंधित भाग एवं उपस्कर का विन्यास परिभाषित होता हो;

(7) "नागर विमानन महानिदेशालय" से धारा 3 के अंतर्गत स्थापित नागर विमानन महानिदेशालय अभिप्रेत है;

(8) "निर्यात" से भारत से बाहर ले जाना अभिप्रेत है;

(9) "आयात" से भारत में लाना अभिप्रेत है;

(10) "अनुरक्षण" से अभिप्राय वायुयान, इंजन, प्रोपेलर अथवा उससे संबंधित भागों पर किए जाने वाले उन कार्यों से है जो वायुयान, इंजन, प्रोपेलर या संबंधित भाग की निरंतर उड़नयोग्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों, जिसमें ओवरहॉल, निरीक्षण, प्रतिस्थापन, त्रुटि सुधार तथा संशोधन या मरम्मत का समावेशन शामिल है;

(11) "विनिर्माण" से ऐसे कार्य का निष्पादन अभिप्रेत है जिसमें वायुयान, इंजन, प्रोपैल्लर अथवा उससे संबंधित किसी भाग तथा उपस्करों, जो प्रोटोटाइप सहित लागू डिजाइन के अनुरूप हों, के संयोजन अथवा उत्पादन के लिए हो;

(12) "निर्धारित" से अभिप्राय इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है।

अध्याय II
नागर विमानन महानिदेशालय

3. नागर विमानन महानिदेशालय

1934 का 22

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन गठित नागर विमानन महानिदेशालय को इस अधिनियम के अधीन गठित माना जाएगा, जिसका प्रमुख एक अधिकारी होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से नागर विमानन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
(2) नागर विमानन महानिदेशालय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में सुरक्षा जांच तथा विनियामक कार्यों को संपादित करने हेतु उत्तरदायी होगा।
(3) नागर विमानन महानिदेशालय का प्रशासन नागर विमानन महानिदेशक में निहित होगा।
(4) केंद्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि नागर विमानन महानिदेशक द्वारा प्रयोज्य कोई भी शक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा इसकी ओर से विशेष रूप से अधिकारसम्पन्न किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोज्य होगी।

निदेश जारी करने संबंधी नागर विमानन महानिदेशालय की शक्तियां

4. (1) नागर विमानन महानिदेशक या केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, समय-समय पर, आदेश द्वारा, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप, धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख), (ङ), (छ), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ), (ण), (त), (थ), (द), (ध), (ब), (यख), (यग), (यघ) और (यच) में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के संबंध में, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो किसी विमानक्षेत्र का उपयोग कर रहे हों या वायुयान संचालन, हवाई यातायात नियंत्रण, अनुरक्षण और विमानक्षेत्र के संचालन, संचार, नौवहन, निगरानी तथा हवाई यातायात प्रबंधन सुविधाओं और नागर विमानन को विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्यों से सुरक्षित रखने में संलग्न हों, निर्देश जारी कर सकेगा, यदि नागर विमानन महानिदेशक या ऐसा अन्य अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि भारत की सुरक्षा के हित में या वायुयान संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।
(2) उपधारा (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे ऐसा आदेश जारी किया गया है।

अध्याय III
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो 1934 का 22

5. (1) वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन गठित **नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो** को इस अधिनियम के अधीन गठित माना जाएगा, जिसका प्रमुख एक अधिकारी होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से इस निमित्त **नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक** नियुक्त किया जाएगा।
(2) **नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो** इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट नागर विमानन सुरक्षा से संबंधित विषयों के संबंध में विनियामक तथा पर्यवेक्षणीय कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।
(3) **नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो** का प्रशासन नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक में निहित होगा।

(4) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सके, जिसे इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया हो।

निदेश जारी करने की नागर विमानन महानिदेशालय की शक्तियां 1934 का 22

6. (1) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक अथवा केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य अधिकारी, समय-समय पर, आदेश द्वारा, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप, धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (झ), (ञ), (ण), (यङ) और (यछ) में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के संबंध में, किसी विमानक्षेत्र का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, अथवा वायुयान परिचालन, हवाई यातायात नियंत्रण, अनुरक्षण और विमानक्षेत्र संचालन में संलग्न व्यक्तियों को, अथवा नागर विमानन को अवैध हस्तक्षेप के कृत्यों से सुरक्षित रखने में संलग्न व्यक्तियों को, ऐसे किसी भी मामले में जहाँ नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक अथवा ऐसा अन्य अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि भारत की सुरक्षा के हित में या नागर विमानन संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, निर्देश जारी कर सकेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी किया गया है, ऐसे आदेश का पालन करेगा।

अध्याय IV
वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो

वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो

1934 का 22

7. (1) वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन गठित **वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो** को इस अधिनियम के अधीन गठित माना जाएगा, जिसका प्रमुख एक अधिकारी होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से इस निमित्त **वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो का महानिदेशक** नियुक्त किया जाएगा।

(2) **वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो** इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट वायुयान दुर्घटनाओं अथवा घटनाओं की जांच से संबंधित विषयों के संबंध में कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) **वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो** का प्रशासन वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक में निहित होगा।

(4) केंद्र सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी कि वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सके, जिसे इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया हो।

अध्याय V
केंद्र सरकार की शक्तियाँ

केंद्र सरकार की जिम्मेदारी

8. नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो तथा वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो का अधीक्षण केंद्र सरकार में निहित होगा, जिसे लोकहित में आवश्यक अथवा समीचीन समझे जाने पर क्रमशः धारा 3, धारा 5 और धारा 7 की उपधारा (2)

के अधीन आने वाले विषयों के संबंध में इन प्रत्येक संगठनों को निर्देश जारी करने की शक्ति होगी।

धारा 4 अथवा 6 के अधीन पारित आदेशों की समीक्षा करने की केंद्र सरकार की शक्ति

9. (1) जहाँ केंद्र सरकार लोकहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन समझती है, वह किसी व्यक्ति से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा, धारा 4 के अधीन नागर विमानन महानिदेशक द्वारा या धारा 6 के अधीन नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा पारित किसी आदेश की समीक्षा कर सकेगी और संबंधित महानिदेशक को ऐसे आदेश को निरस्त करने या संशोधित करने हेतु उपयुक्त निर्देश जारी कर सकेगी।
(2) नागर विमानन महानिदेशक अथवा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक निर्देश का पालन करेंगे और धारा 4 अथवा धारा 6 के अधीन उनके द्वारा पारित आदेश को निरस्त या संशोधित करेंगे।

नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति

10. (1) धारा 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी वायुयान अथवा वायुयानों के किसी वर्ग के **अभिकल्प**, **निर्माण**, **अनुरक्षण**, **कब्जा**, **उपयोग**, **संचालन**, **विक्रय**, **आयात अथवा निर्यात** को विनियमित करने तथा वायुयान संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकेगी।
(2) उपर्युक्त शक्ति की व्यापकता को प्रभावित किए बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे–
(क) वे प्राधिकारी जिनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा;
(ख) वायु परिवहन सेवाओं का विनियमन तथा ऐसी सेवाओं में वायुयान के उपयोग का निषेध, जब तक कि ऐसी सेवा की स्थापना के लिए अधिकृत लाइसेंस प्राप्त न हो;

(ग) नागर विमानन तथा वायु परिवहन सेवाओं का आर्थिक विनियमन, जिसमें वायु परिवहन सेवा संचालकों के शुल्क (टैरिफ) का अनुमोदन, अननुमोदन अथवा संशोधन सम्मिलित होगा;
स्पष्टीकरण– इस खंड के प्रयोजनों के लिए "टैरिफ" में यात्रियों अथवा माल के वायु परिवहन हेतु किराए, दरें, मूल्यांकन शुल्क तथा अन्य प्रभार, और उनसे संबंधित नियम, विनियम, प्रथाएँ अथवा सेवाएँ तथा यात्री या माल विक्रय अभिकर्ताओं को देय कमीशन की दरें, शर्तें और नियम सम्मिलित होंगे;
2008 का 27

(घ) वायु परिवहन सेवा की स्थापना हेतु लाइसेंस के लिए आवेदनकर्ता या उसके धारक द्वारा नियमों में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना;
(ङ) विमानक्षेत्रों का अनुज्ञापन, निरीक्षण और विनियमन तथा वे शर्तें जिनके अधीन विमानक्षेत्रों का अनुरक्षण किया जा सकेगा और बिना अनुज्ञप्ति वाले विमानक्षेत्रों के उपयोग का निषेध या विनियमन;
(च) उन विमानक्षेत्रों पर लगाए जाने वाले शुल्क जहाँ **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम**, **1994** अथवा **भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण**

अधिनियम, **2008** लागू नहीं होते; 1994 का 55, 2008 का 27

(छ) वायुयानों के अभिकल्प, निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण तथा उन स्थलों का निरीक्षण और नियंत्रण जहाँ वायुयानों का अभिकल्पन, निर्माण, मरम्मत या रख-रखाव किया जा रहा हो;
(ज) वायुयानों का पंजीकरण और पहचान;
(झ) वे शर्तें जिनके अधीन वायुयान उड़ान भर सकते हैं या यात्रियों, डाक अथवा माल को ले जा सकते हैं अथवा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं;
(ञ) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन हेतु वायुयानों अथवा वायुयानों के अभिकल्प, निर्माण, अनुरक्षण या संचालन से संबंधित किसी सुविधा का निरीक्षण;
(ट) वायुयानों के संचालन, निर्माण, मरम्मत या अनुरक्षण में नियोजित व्यक्तियों का अनुज्ञापन;
(ठ) हवाई यातायात नियंत्रण में लगे व्यक्तियों का अनुज्ञापन;
(ड) रेडियो टेलीफोन या टेलीग्राफ संचालन तथा वायुयानों और उनसे संबंधित उपकरणों के संचालन एवं अनुरक्षण में लगे कार्मिकों का प्रमाणीकरण और अनुज्ञापन;
(ढ) संचार, नौवहन, निगरानी तथा हवाई यातायात प्रबंधन सुविधाओं का प्रमाणीकरण, निरीक्षण और विनियमन;
(ण) नागर विमानन को विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्यों से सुरक्षित रखने के उपाय;
(त) हवाई मार्ग सेवाओं का विनियमन, अर्थात् वैमानिक सूचना सेवाएँ, वैमानिक चार्टन और मानचित्रण सेवाएँ, वैमानिक मौसम विज्ञान सेवाएँ, खोज और बचाव सेवाएँ, हवाई मार्ग सेवाओं की प्रक्रिया और वायुयान संचालन;
(थ) वे हवाई मार्ग जिनसे वायुयान भारत में प्रवेश या भारत से बाहर जा सकते हैं अथवा भारत के भीतर या ऊपर उड़ सकते हैं तथा वे स्थान जहाँ वायुयान उतरेंगे या उड़ान भरेंगे;
(द) किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के ऊपर वायुयानों की उड़ान का, पूर्णतः या निर्दिष्ट समयों पर या निर्दिष्ट शर्तों और अपवादों के अधीन निषेध;
(ध) हवाई मार्ग संकेतकों, विमानक्षेत्र प्रकाशों तथा विमानक्षेत्रों या हवाई मार्गों के निकट स्थित प्रकाशों की आपूर्ति, पर्यवेक्षण और नियंत्रण;
(न) विमानक्षेत्रों के आस-पास में अथवा हवाई मार्गों के निकट निजी संपत्ति पर प्रकाशों की स्थापना और अनुरक्षण, उनके स्वामियों अथवा अधिभोगियों द्वारा, तथा ऐसे स्थापना और अनुरक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा भुगतान, पर्यवेक्षण और नियंत्रण, जिसमें इन प्रयोजनों हेतु संपत्ति में प्रवेश का अधिकार भी सम्मिलित होगा।
(प) वायुयानों द्वारा या वायुयानों के लिए संचार के प्रयोजनों हेतु उपयोग किए जाने वाले संकेतों तथा संकेत देने में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों के संबंध में;
(फ) वायुयान में किसी विनिर्दिष्ट वस्तु, खतरनाक माल अथवा पदार्थ के वहन के निषेध और विनियमन के संबंध में;
(ब) जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले उपायों तथा साथ ले जाए जाने वाले उपकरणों के संबंध में;
(भ) लॉग-बुकों के निर्गमन और अनुरक्षण के संबंध में;

(म) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र अथवा अनुमोदन के निर्गमन या नवीनीकरण की रीति और शर्तें, उससे संबंधित परीक्षाएँ और परीक्षण, ऐसे अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन अथवा किसी लॉग-बुक का प्रारूप, अभिरक्षा, प्रस्तुतीकरण, पृष्ठांकन, निरस्तीकरण, निलंबन या समर्पण;
(य) इस अधिनियम के अधीन किए गए, जारी किए गए अथवा नवीनीकृत किसी निरीक्षण, परीक्षा, परीक्षण, प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति अथवा अनुमोदन के संबंध में लगाए जाने वाले शुल्क;
(यक) इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु भारत के बाहर जारी की गई वायुयानों अथवा वायुयानों के संचालन, निर्माण, मरम्मत अथवा अनुरक्षण में नियोजित व्यक्तियों की योग्यताओं से संबंधित अनुज्ञप्तियों और प्रमाणपत्रों की मान्यता;
(यख) विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से दस किलोमीटर की परिधि के भीतर पशुओं के वध और खाल उतारने तथा कूड़ा-कचरा, गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं घृणित पदार्थों के निस्तारण का निषेध;
(यग) विमानक्षेत्र अथवा संचार और नौवहन सेवा सुविधा के आसपास अवरोध सीमित सतहों के नियंत्रण हेतु विनियमन;
(यघ) सुरक्षा पर्यवेक्षण तथा विनियामक कार्य;
(यङ) संरक्षा पर्यवेक्षण तथा उसके विनियामक कार्य;
(यच) वे क्षेत्र और रीति जिनमें नागर विमानन महानिदेशक सुरक्षा पर्यवेक्षण और विनियामक कार्यों के निष्पादन हेतु निर्देश जारी कर सकेगा तथा ऐसे निर्देशों के अनुपालन से छूट प्रदान कर सकेगा;
(यछ) वे क्षेत्र और रीति जिनमें नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक संरक्षा पर्यवेक्षण कार्यों के निष्पादन हेतु निर्देश जारी कर सकेगा तथा ऐसे निर्देशों के अनुपालन से छूट प्रदान कर सकेगा;
(यज) मौद्रिक दंड की राशि का निर्धारण;
(यझ) इस उपधारा में निर्दिष्ट विषयों से संबंधित कोई भी सहायक अथवा आनुषंगिक विषय।

अभिसमय को लागू करने के लिए नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति

11. (1) धारा 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम बना सकेगी जो उसे 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संबंधी अभिसमय (जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों और अनुशंसित प्रथाओं से संबंधित उसके परिशिष्ट भी सम्मिलित हैं), जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया हो, को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
(2) **दूरसंचार अधिनियम, 2023** में निहित किसी बात के होते हुए भी, परंतु धारा 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम बना सकेगी जो उसे वायुयानों के संचालन और अनुरक्षण में लगे व्यक्तियों को **रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (प्रतिबंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति** जारी करने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार अभिसमय के लागू उपबंधों के अनुसार, आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हों।

दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति

12. (1) धारा 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी दुर्घटना अथवा घटना की जांच के लिए नियम बना सकेगी, जो नौवहन के कारण अथवा उसके दौरान उत्पन्न हो–

(क) भारत में अथवा भारत के ऊपर किसी वायुयान के संबंध में; अथवा

(ख) भारत में पंजीकृत किसी वायुयान के संबंध में, चाहे वह कहीं भी हो।

(2) उपर्युक्त शक्ति की व्यापकता को प्रभावित किए बिना, ऐसे नियम–

(क) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि किसी दुर्घटना अथवा घटना की सूचना उस रीति से और उस व्यक्ति द्वारा दी जाएगी जैसा उसमें विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ख) ऐसी जांच के प्रयोजनों के लिए, दुर्घटना अथवा घटना की जांच से संबंधित उस समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों को, संशोधन सहित या बिना संशोधन के, लागू कर सकेंगे;

(ग) जांच लंबित रहने तक उस वायुयान तक पहुँच अथवा उसमें हस्तक्षेप को निषिद्ध कर सकेंगे जिसमें दुर्घटना अथवा घटना हुई हो, और जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यकतानुसार किसी व्यक्ति को ऐसे वायुयान तक पहुँचने, उसका परीक्षण करने, हटाने, संरक्षण के उपाय करने अथवा अन्यथा उससे व्यवहार करने के लिए अधिकृत कर सकेंगे; और

(घ) इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई अथवा मान्यता प्राप्त किसी अनुज्ञप्ति अथवा प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण, निलंबन, पृष्ठांकन अथवा समर्पण को अधिकृत अथवा अपेक्षित कर सकेंगे, जहाँ जांच में यह प्रतीत हो कि अनुज्ञप्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए, तथा इस प्रयोजन के लिए ऐसी अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करने का प्रावधान कर सकेंगे।

सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति

13. धारा 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम बना सकेगी जो किसी विमानक्षेत्र पर आने वाले अथवा उपस्थित वायुयानों से किसी संक्रामक अथवा संसर्गजन्य रोग के प्रवेश या प्रसार द्वारा जनस्वास्थ्य को उत्पन्न होने वाले खतरे की रोकथाम के लिए तथा किसी विमानक्षेत्र से प्रस्थान करने वाले वायुयानों द्वारा संक्रमण या संसर्ग के प्रसार की रोकथाम के लिए हों। 1908 का 15

सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु केंद्र सरकार की आपातकालीन शक्तियां

14. (1) यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि भारत या उसका कोई भाग किसी खतरनाक महामारी रोग के प्रकोप से प्रभावित है या उससे प्रभावित होने की आशंका है, और यह कि वर्तमान में प्रवृत्त कानून के सामान्य उपबंध वायुयानों के माध्यम से रोग के प्रवेश या प्रसार से जनस्वास्थ्य को उत्पन्न होने वाले खतरे की रोकथाम हेतु पर्याप्त नहीं हैं, तो केंद्र सरकार ऐसे उपाय कर सकेगी जिन्हें वह ऐसे खतरे की रोकथाम के लिए आवश्यक समझे।

(2) ऐसे किसी मामले में, केंद्र सरकार धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वायुयानों, उनमें यात्रा करने वाले व्यक्तियों अथवा ले जाई जा रही वस्तुओं तथा विमानक्षेत्रों के संबंध में ऐसे अस्थायी नियम बना सकेगी जिन्हें वह परिस्थितियों में आवश्यक समझे।

(3) धारा 34 में निहित किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन नहीं होगी कि नियम पूर्व प्रकाशन के बाद बनाए जाएँ; परंतु ऐसे नियम अधिसूचना की तिथि से तीन महीने से अधिक प्रभावी नहीं रहेंगेः
परंतु यह कि केंद्र सरकार विशेष आदेश द्वारा उन्हें आगे की ऐसी अवधि या अवधियों के लिए प्रवृत्त रख सकेगी जो कुल मिलाकर तीन मास से अधिक न हों।

आपातकाल में आदेश जारी करने की केंद्र सरकार की शक्ति

15. (1) यदि केंद्र सरकार की यह राय हो कि लोक सुरक्षा या शांति के हित में निम्नलिखित सभी या किसी आदेश का जारी किया जाना समीचीन है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा–

(क) इस अधिनियम के अधीन जारी किसी भी या सभी अनुज्ञप्तियों, प्रमाणपत्रों या अनुमोदनों को, पूर्णतः या ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह आदेश में विनिर्दिष्ट करना उपयुक्त समझे, निरस्त या निलंबित कर सकेगी;

(ख) संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के ऊपर सभी या किसी वायुयान अथवा वायुयानों के किसी श्रेणी की उड़ान को, पूर्णतः या ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह आदेश में विनिर्दिष्ट करना उपयुक्त समझे, निषिद्ध कर सकेगी, अथवा आदेश में वर्णित रीति से उसका विनियमन कर सकेगी;

(ग) किसी विमानक्षेत्र, वायुयान सुविधा, उड़ान प्रशिक्षण संगठन अथवा ऐसे स्थान जहाँ वायुयानों का अभिकल्पन, निर्माण, मरम्मत या रख-रखाव किया जाता है, या उनकी किसी श्रेणी या टाइप की स्थापना, अनुरक्षण या उपयोग को, पूर्णतः अथवा शर्तों सहित, निषिद्ध या विनियमित कर सकेगी; तथा

(घ) यह निर्देश दे सकेगी कि कोई भी वायुयान अथवा वायुयानों की कोई श्रेणी या कोई विमानक्षेत्र, वायुयान सुविधा, उड़ान प्रशिक्षण संगठन अथवा वह स्थान जहाँ वायुयानों का अभिकल्पन, निर्माण, मरम्मत या रख-रखाव किया जाता है, तथा वायुयानों के अभिकल्पन, संचालन, निर्माण, मरम्मत या अनुरक्षण में प्रयुक्त कोई भी मशीनरी, संयंत्र, सामग्री या वस्तुएँ, तत्काल या आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से सुपुर्द की जाएँ जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो, ताकि वे लोक सेवा के लिए उस सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई भी आदेश इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम में निहित किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन किए गए किसी आदेश के कारण प्रत्यक्ष क्षति या हानि होती है, उसे ऐसा प्रतिकर दिया जाएगा जैसा केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए।

(4) केंद्र सरकार उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु ऐसे कदम उठाने के लिए अधिकृत कर सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हों।

(5) जो कोई जानबूझकर उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश की अवज्ञा करता है, उसका पालन करने में विफल रहता है, या उसके प्रतिकूल कोई कार्य करता है, वह तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा, और जिस न्यायालय द्वारा उसे दोषसिद्ध किया जाएगा, वह निर्देश दे सकेगा कि वह वायुयान या वस्तु (यदि कोई हो) जिसके संबंध में अपराध किया गया है, या उसका कोई हिस्सा, केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाए।

[illegible]

16. धारा 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम बना सकेगी जो किसी ऐसी संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा और पुनः सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए हों, जो विधिवत अभिरक्षा में न होने की स्थिति में किसी विमानक्षेत्र पर अथवा किसी विमानक्षेत्र पर स्थित वायुयान में पाई जाती है, और ऐसे नियम विशेषतः निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे–

(क) ऐसी संपत्ति को उसके अधिकारी व्यक्ति को पुनः सुपुर्द करने से पूर्व उससे संबंधित शुल्कों का भुगतान; तथा

(ख) यदि उस व्यक्ति को उसमें विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने से पूर्व उसके अधिकारी व्यक्ति को पुनः सुपुर्द नहीं किया जाता है तो, ऐसी संपत्ति का निपटान।

वायुयान को डिटेन करने की शक्ति

17. (1) केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी किसी वायुयान को निरुद्ध कर सकेगा, यदि उसकी राय में–

(क) प्रस्तावित उड़ान की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे वायुयान की उड़ान वायुयान में उपस्थित व्यक्तियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति के लिए खतरा उत्पन्न करेगी; अथवा

(ख) ऐसा निरोध इस अधिनियम अथवा उस वायुयान पर लागू नियमों के किसी उपबंध के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है; अथवा ऐसा निरोध धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (थ) या खंड (द) के अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन को रोकने अथवा किसी न्यायालय द्वारा किए गए आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक है।

(2) धारा 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस शक्ति के प्रयोग से संबंधित सभी आनुषंगिक अथवा सहायक विषयों को विनियमित करने हेतु नियम बना सकेगी।

[illegible]

18. (1) यदि केंद्र सरकार की यह राय हो कि वायुयान संचालन की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा–

(क) यह निर्देश दे सकेगी कि विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से बीस किलोमीटर से अधिक न होने वाली ऐसी परिधि के भीतर, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, किसी भूमि पर कोई भवन या संरचना निर्मित या स्थापित नहीं की जाएगी, अथवा कोई वृक्ष नहीं लगाया जाएगा; और जहाँ ऐसी भूमि पर कोई भवन, संरचना या वृक्ष मौजूद है, वहाँ उस भवन, संरचना या वृक्ष के स्वामी अथवा नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस भवन या संरचना को ध्वस्त करने या, यथास्थिति, उस वृक्ष को काटने का निर्देश भी दे सकेगी;

(ख) यह निर्देश दे सकेगी कि विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से बीस किलोमीटर से अधिक न होने वाली ऐसी परिधि के भीतर, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, ऐसी ऊँचाई से अधिक का कोई भवन या संरचना निर्मित या स्थापित नहीं की जाएगी, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, अथवा ऐसा कोई वृक्ष, जिसकी वृद्धि उस ऊँचाई से अधिक

होने की संभावना हो या सामान्यतः होता हो, नहीं लगाया जाएगा; और जहाँ ऐसी भूमि पर किसी भवन, संरचना या वृक्ष की ऊँचाई विनिर्दिष्ट ऊँचाई से अधिक हो, वहाँ उसके स्वामी अथवा नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसकी ऊँचाई कम करने का निर्देश भी दिया जा सकेगा ताकि वह विनिर्दिष्ट ऊँचाई से अधिक न रहे।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन परिधि विनिर्दिष्ट करते समय तथा उक्त खंड (ख) के अधीन किसी भवन, संरचना या वृक्ष की ऊँचाई विनिर्दिष्ट करते समय, केंद्र सरकार निम्नलिखित का ध्यान रखेगी–

(क) विमानक्षेत्र में संचालित या संचालित किए जाने के लिए प्रस्तावित वायुयानों की प्रकृति; तथा

(ख) वायुयान संचालन को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानक और अनुशंसित प्रथाएँ।

(3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई हो, जिसमें किसी भवन, संरचना या वृक्ष के स्वामी अथवा नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को ऐसे भवन या संरचना को ध्वस्त करने, वृक्ष को काटने अथवा किसी भवन, संरचना या वृक्ष की ऊँचाई कम करने का निर्देश दिया गया हो, वहाँ ऐसे निर्देश युक्त अधिसूचना की एक प्रति, यथास्थिति, भवन, संरचना या वृक्ष के स्वामी अथवा नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को निम्न प्रकार से तामील की जाएगी–

(क) उसे ऐसे स्वामी या व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से देकर या प्रस्तुत करके; अथवा

(ख) यदि इस प्रकार देना या प्रस्तुत करना संभव न हो, तो ऐसे स्वामी या व्यक्ति के किसी अधिकारी या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को देकर या प्रस्तुत करके, अथवा उस भवन के बाहरी द्वार पर या उस परिसर के किसी प्रमुख भाग पर उसकी प्रति चस्पा करके जहाँ ऐसा स्वामी या व्यक्ति अंतिम बार निवास करता था या व्यवसाय करता था या व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करता था, अथवा डाक या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजकर; अथवा

(ग) यदि खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी भी माध्यम से तामील न हो सके, तो डाक द्वारा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन जारी किसी भी अधिसूचना में निहित किसी भी निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□

19. (1) इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबंध, अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो केंद्र सरकार अथवा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, विहित रीति से, इस अधिनियम के अधीन उस व्यक्ति को जारी किए गए किसी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र अथवा अनुमोदन पर कोई प्रतिबंध लगा सकेगा अथवा उसे निलंबित या निरस्त कर सकेगा।

(2) यदि केंद्र सरकार अथवा उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन किया गया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा–

(i) अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र अथवा अनुमोदन को निलंबित या निरस्त कर सकेगा; अथवा

(ii) उस व्यक्ति को जारी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र अथवा अनुमोदन पर प्रतिबंध लगा सकेगा,

और ऐसे आदेश में अधिनियम, नियम अथवा निर्देश के उस उपबंध के उल्लंघन की प्रकृति तथा ऐसे निलंबन, निरस्तीकरण या प्रतिबंध लगाए जाने के कारणों का उल्लेख करेगा।

(3) केंद्र सरकार अथवा उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, उपधारा (2) के अधीन आदेश पारित करने से पूर्व, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

(4) केंद्र सरकार, इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों में उन आधारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनके आधार पर अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र अथवा अनुमोदन को निलंबित किया जा सकेगा अथवा वे परिस्थितियाँ जिनमें ऐसे प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लगाए जा सकेंगे।

20. केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और उसमें वर्णित कारणों के आधार पर, किसी वायुयान अथवा वायुयानों के किसी वर्ग तथा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग को, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी या किसी उपबंध से छूट प्रदान कर सकेगी, अथवा निर्देश दे सकेगी कि ऐसे उपबंध ऐसे वायुयानों अथवा व्यक्तियों पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अधीन लागू होंगे।

21. केंद्र सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ (इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) नागर विमानन महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक अथवा केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेंगी।

अध्याय VI
हानि या क्षति के लिए प्रतिकर का भुगतान

22. (1) यदि धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना में निहित किसी निर्देश के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई हानि या क्षति होती है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर दिया जाएगा, जिसकी राशि निम्नलिखित रीति और सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की जाएगी, अर्थात्–

(क) जहाँ प्रतिकर की राशि समझौते द्वारा निर्धारित की जा सकती हो, वहाँ उसका भुगतान ऐसे समझौते के अनुसार किया जाएगा;

(ख) जहाँ ऐसा समझौता नहीं हो पाता है, वहाँ केंद्र सरकार मध्यस्थ के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य हो अथवा रह चुका हो;

(ग) केंद्र सरकार, किसी विशेष मामले में, उस व्यक्ति द्वारा वहन की गई हानि या क्षति की प्रकृति का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले किसी व्यक्ति को नामित कर सकेगी, और जहाँ ऐसा नामांकन किया जाता है, वहाँ प्रतिकर प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी उसी प्रयोजन के लिए एक मूल्यांकनकर्ता नामित कर सकेगा;

(घ) मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही के प्रारंभ में, केंद्र सरकार और प्रतिकर प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अपने-अपने विचार में उचित प्रतिकर राशि का उल्लेख करेंगे;

(ङ) मध्यस्थ विवाद की सुनवाई के पश्चात् ऐसा निर्णय देगा जिसमें वह प्रतिकर की वह राशि निर्धारित करेगा जो उसे न्यायसंगत प्रतीत हो, तथा यह भी विनिर्दिष्ट करेगा कि ऐसा

प्रतिकर किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को दिया जाएगा; और ऐसा निर्णय देते समय वह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा तथा–

(i) प्रतिकर प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आय में हुई क्षति;

(ii) यदि धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में निहित किसी निर्देश के परिणामस्वरूप अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद भूमि के बाजार मूल्य में कमी आई हो, तो उस बाजार मूल्य में हुई कमी;

(iii) जहाँ किसी भवन या संरचना को ध्वस्त किया गया हो, किसी वृक्ष को काटा गया हो, अथवा किसी भवन, संरचना या वृक्ष की ऊँचाई किसी निर्देश के अनुपालन में कम की गई हो, वहाँ इस प्रकार के ध्वस्तीकरण, कटाई या ऊँचाई में कमी के परिणामस्वरूप प्रतिकर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हुई क्षति तथा उस हेतु उसके द्वारा वहन किए गए व्यय;

(iv) यदि प्रतिकर प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपना निवास या व्यवसाय स्थल बदलने के लिए विवश हो, तो ऐसे परिवर्तन के कारण होने वाले युक्तिसंगत व्यय;

(च) जहाँ यह विवाद हो कि प्रतिकर पाने का अधिकारी कौन व्यक्ति या कौन-कौन व्यक्ति हैं, वहाँ मध्यस्थ ऐसे विवाद का निर्णय करेगा और यदि वह पाता है कि एक से अधिक व्यक्ति प्रतिकर के अधिकारी हैं, तो वह प्रतिकर राशि को उन व्यक्तियों के मध्य विभाजित करेगा;

(छ) **मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, **1996** की कोई भी बात इस धारा के अधीन की गई मध्यस्थता पर लागू नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन मध्यस्थ द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय, उसके समक्ष हुई कार्यवाही में हुए व्यय की राशि तथा यह भी बताएगा कि ऐसे व्यय किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में वहन किए जाएंगे।

23. धारा 22 के अधीन मध्यस्थ द्वारा दिए गए प्रतिकर संबंधी निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे निर्णय की तिथि से तीस दिनों के भीतर, उस उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में विमानक्षेत्र स्थित है:

परंतु यह कि यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारणों से समय पर अपील दायर करने से वंचित रहा, तो वह उक्त तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकेगा।

24. धारा 22 के अधीन नियुक्त मध्यस्थ, इस अधिनियम के अधीन मध्यस्थता कार्यवाही करते समय, **सिविल प्रक्रिया संहिता**, **1908** के अधीन वाद की सुनवाई करते समय सिविल न्यायालय की निम्नलिखित सभी शक्तियाँ रखेगा, अर्थात्–

(क) किसी व्यक्ति को तलब करना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ख) किसी दस्तावेज़ की खोज और प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की मांग करना;

(ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए आयोग जारी करना।

अध्याय VII
अपराध और दंड

25. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 10 की उपधारा (2) के खंड **(v)** के अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, जो वायुयान में शस्त्र, विस्फोटक या अन्य खतरनाक वस्तुओं के वहन को निषिद्ध या विनियमित करता है, अथवा जब उस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसी किसी वस्तु के संबंध में जानकारी देने की अपेक्षा की जाती है और वह ऐसी जानकारी देता है जो मिथ्या है और जिसे वह जानता है या मानता है कि वह मिथ्या है, अथवा जिसे वह सत्य नहीं मानता, तो वह व्यक्ति, और यदि वह स्वामी नहीं है, तो स्वामी भी (जब तक कि स्वामी यह सिद्ध न कर दे कि अपराध उसकी जानकारी, सहमति या मिलीभगत के बिना किया गया था), ऐसे कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो एक करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, या दोनों से।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 10 की उपधारा (2) के खंड **(यख)** के अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, जो विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से दस किलोमीटर की परिधि के भीतर पशुओं के वध, खाल उतारने तथा कूड़ा-कचरा, गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं घृणित पदार्थों के निस्तारण को निषिद्ध करता है, तो वह ऐसे कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो एक करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, या दोनों से।

(3) **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**, **2023** में निहित किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) में उल्लिखित अपराध संज्ञेय होगा।

(4) धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13, धारा 14 अथवा धारा 17 के अधीन कोई अन्य नियम बनाते समय, केंद्र सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि उसके उल्लंघन पर ऐसे कारावास से दंड दिया जाएगा जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो एक करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, या दोनों से।

26. यदि कोई जानबूझकर किसी वायुयान को इस प्रकार उड़ाता है कि उससे भूमि, जल या वायु में किसी व्यक्ति अथवा संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो, वह ऐसे कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो एक करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, या दोनों से।

27. यदि कोई व्यक्ति धारा 4 अथवा धारा 6 के अधीन जारी किसी निर्देश का जानबूझकर पालन करने में विफल रहता है, तो वह ऐसे कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो एक करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, या दोनों से।

28. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 18 के अधीन जारी किसी अधिसूचना में निहित किसी निर्देश का जानबूझकर पालन करने में विफल रहता है, तो वह ऐसे कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो एक करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, या दोनों से।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना में निहित किसी निर्देश के अनुपालन में, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, किसी भवन या संरचना को ध्वस्त करने, किसी वृक्ष को काटने, अथवा किसी भवन, संरचना या वृक्ष की ऊँचाई कम करने में विफल रहता है, तो केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन, केंद्र

सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत कोई अधिकारी ऐसे भवन या संरचना को ध्वस्त करने, ऐसे वृक्ष को काटने, अथवा ऐसे भवन, संरचना या वृक्ष की ऊँचाई कम करने के लिए सक्षम होगा:
परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति धारा 34 के उपबंधों के अधीन होगी।

29. जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है अथवा ऐसे अपराध का प्रयत्न करता है, और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करता है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड का भागी होगा।

30. (1) **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** में निहित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध, जो केवल कारावास से दंडनीय न हो अथवा कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय हो, उसका शमन (compounding), अभियोजन संस्थित होने से पूर्व या उसके पश्चात, यथास्थिति, नागर विमानन महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक अथवा वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा, विहित रीति से और ऐसी राशि पर जो एक करोड़ रुपये से अधिक न हो, किया जा सकेगा।
(2) उपधारा (1) में निहित कोई बात ऐसे अपराध पर लागू नहीं होगी जो किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी बार या उसके पश्चात पाँच वर्षों की अवधि के भीतर किया गया हो, यदि उससे पूर्व उसी प्रकार का अपराध शमित किया गया हो या उसके लिए वह व्यक्ति दोषसिद्ध किया गया हो।
(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, अपराध के शमन की शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार के निर्देशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन करेगा।
(4) अपराध के शमन के लिए प्रत्येक आवेदन विहित रीति से किया जाएगा।
(5) जहाँ किसी अपराध का शमन अभियोजन संस्थित होने से पूर्व किया जाता है, वहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस अपराध के संबंध में उस अपराधी के विरुद्ध कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।
(6) जहाँ किसी अपराध का शमन अभियोजन संस्थित होने के पश्चात किया जाता है, वहाँ ऐसा शमन उस न्यायालय के संज्ञान में, जहाँ अभियोजन लंबित है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लिखित रूप में लाया जाएगा, और ऐसे शमन की सूचना दिए जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अपराध का शमन किया गया है, मुक्त कर दिया जाएगा।
(7) इस धारा के अधीन किसी अपराध का शमन, उस अभियुक्त के लिए जिसके साथ अपराध का शमन किया गया है, दोषमुक्ति (acquittal) के समान प्रभाव रखेगा।
(8) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई भी अपराध, इस धारा में उपबंधित रीति के अतिरिक्त, शमित नहीं किया जाएगा।

31. (1) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जब तक कि नागर विमानन महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक अथवा वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक, यथास्थिति, द्वारा या उनकी पूर्व लिखित स्वीकृति से शिकायत न की गई हो।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित शिकायत उस तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर की जाएगी जिस दिन अपराध नागर विमानन महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक अथवा वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक, यथास्थिति, के संज्ञान में आया हो।

(3) **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**, **2023** में निहित किसी बात के होते हुए भी, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण नहीं करेगा।

32. (1) धारा 25 में निहित किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13, धारा 14 अथवा धारा 17 के अधीन कोई नियम बनाते समय, किसी नियम के उल्लंघन के लिए, विहित अनुसार, दंड जो कि एक करोड़ रुपये से अधिक न हो, अधिरोपित करने का प्रावधान कर सकेगी।

(2) केंद्र सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे अधिकारियों की संख्या नियुक्त कर सकेगी जो भारत सरकार में उप सचिव के पद से नीचे न हों अथवा उसके समकक्ष हों, जिन्हें विहित रीति से उपधारा (1) के अधीन दंड निर्धारित करने के लिए नामित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(3) केंद्र सरकार, उपधारा (2) के अधीन नामित अधिकारियों की नियुक्ति करते समय, उसी आदेश में उनके अधिकार क्षेत्र को भी विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(4) जहाँ नामित अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि किसी व्यक्ति द्वारा नियमों के उपबंधों का कोई उल्लंघन किया गया है, वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति पर दंड अधिरोपित कर सकेगा, जिसमें उल्लंघन की प्रकृति, नियमों के उस उपबंध का उल्लेख होगा जिसका उल्लंघन किया गया है तथा ऐसे दंड के अधिरोपण के कारण बताए जाएँगे:

परंतु यह कि नामित अधिकारी, कोई दंड अधिरोपित करने से पूर्व, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा:

परंतु यह भी कि यदि उसी वादहेतुक (cause of action) पर उसी उपबंध के उल्लंघन के लिए इस अधिनियम के अधीन दंड अधिरोपण के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है, तो नामित अधिकारी उपधारा (4) के अधीन दंड अधिरोपण की कार्यवाही नहीं करेगा।

33. (1) धारा 19 की उपधारा (2) अथवा धारा 32 की उपधारा (4) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस विषय में अधिकार क्षेत्र रखने वाले प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा, जो उस अधिकारी से एक पद उच्च होगा जिसने वह आदेश पारित किया है।

(2) प्रथम अपीलीय अधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे, और अपीलित आदेश की पुष्टि, संशोधन अथवा निरस्तीकरण कर सकेगा।

(3) प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस विषय में अधिकार क्षेत्र रखने वाले द्वितीय अपीलीय अधिकारी जो कि प्रथम अपीलीय अधिकारी से एक पद ऊपर होगा, के समक्ष अपील कर सकेगा।

(4) द्वितीय अपीलीय अधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे, और प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि, संशोधन अथवा निरस्तीकरण कर सकेगा।

(5) उपर्युक्त उपधाराओं में निहित किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) के अधीन, नागर विमानन महानिदेशक अथवा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील केंद्र सरकार के समक्ष होगी।
(6) जहाँ उपधारा (5) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है, उस आदेश के विरुद्ध आगे कोई अपील नहीं होगी।
(7) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, विहित प्ररूप और रीति से तथा विहित दस्तावेजों और शुल्क के साथ दायर की जाएगी:
बशर्ते उक्त अवधि को, लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए, अधिकतम तीस दिनों की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा।

अध्याय VIII
विविध

34. इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की कोई भी शक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात बनाए जाएँगे:
बशर्ते केंद्र सरकार लोकहित में, लिखित आदेश द्वारा, किसी मामले में पूर्व प्रकाशन की इस शर्त को शिथिल कर सकेगी।

35. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, जब सदन, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए सत्र में हो, जो अवधि एक सत्र में या दो अथवा अधिक लगातार सत्रों में पूर्ण हो सकती है; और यदि उक्त सत्र अथवा क्रमागत सत्रों के तुरंत पश्चात वाले सत्र की समाप्ति से पूर्व, दोनों सदन उस नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत हो जाएँ या यह सहमत हो जाएँ कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वह नियम केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा अथवा, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा; तथापि ऐसा कोई संशोधन अथवा निरस्तीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किए गए किसी कार्य की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा।

36. जहाँ कोई व्यक्ति धारा 25 की उपधारा (1) अथवा धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, वहाँ जिस न्यायालय द्वारा उसे दोषसिद्ध किया गया है, वह यह निर्देश दे सकेगा कि वह वायुयान, वस्तु अथवा पदार्थ, यथास्थिति, जिसके संबंध में अपराध किया गया है, केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाए।

37. (1) **वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958** के भाग XIII के वे उपबंध, जो जलपोतों के मलबे (Wreck) और बचाया हुआ माल (Salvage) से संबंधित हैं, समुद्र अथवा ज्वारीय जल पर या उसके ऊपर स्थित वायुयानों पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे जलपोतों पर लागू होते हैं, और किसी वायुयान का स्वामी, वायुयान द्वारा प्रदान की गई नाशरक्षित सेवाओं के लिए उसी प्रकार युक्तिसंगत प्रतिफल पाने का अधिकारी होगा जैसे किसी जलपोत का स्वामी।
(2) केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उक्त उपबंधों को वायुयानों पर लागू करते समय, आवश्यक या समीचीन प्रतीत होने वाले संशोधन कर सकेगी।

38. **पेटेंट अधिनियम, 1970** के उपबंध, भारत में पंजीकृत न होने वाले किसी वायुयान में किसी आविष्कार के उपयोग पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी विदेशी जलपोत में आविष्कार के उपयोग पर लागू होते हैं।

39. किसी सिविल न्यायालय में केवल इस आधार पर कि कोई वायुयान किसी संपत्ति के ऊपर ऐसी ऊँचाई पर उड़ा है जो पवन, मौसम और मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत है, अथवा केवल ऐसी उड़ान की सामान्य घटनाओं के कारण, अतिक्रमण (trespass) या उपद्रव (nuisance) के संबंध में कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा।

40. इस अधिनियम के अधीन सद्भावना में किए गए अथवा किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

41. इस अधिनियम में या इसके अधीन बनाए गए किसी आदेश या नियम में निहित कोई बात, धारा 13 अथवा धारा 14 के अधीन बनाए गए नियमों को छोड़कर, संघ की नौसेना, थल सेना या वायु सेना अथवा वर्तमान में प्रवृत्त किसी विधि द्वारा गठित संघ के अन्य सशस्त्र बलों के स्वामित्व वाले अथवा उनके द्वारा विशेष रूप से प्रयुक्त किसी वायुयान पर, अथवा ऐसे वायुयानों से संबंधित ऐसे बलों में नियोजित किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी:

बशर्ते संघ के ऐसे किसी अन्य सशस्त्र बल का वायुयान, जो नौसेना, थल सेना या वायु सेना से भिन्न हो, जिस पर धारा 43 के अधीन निरसित अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि पर लागू थे, वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उसी प्रकार शासित होता रहेगा जब तक कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कोई अन्य तिथि विनिर्दिष्ट न करे।

42. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और बचाव

43. (1) **वायुयान अधिनियम, 1934** एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

1934 का 22

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, उस निरसित अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई अथवा किया गया या कृत मानी गई कोई कार्रवाई, जिसमें कोई नियम, विनियम, अधिसूचना, निरीक्षण या आदेश बनाया गया या जारी किया गया हो; अथवा कोई अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, अनुमोदन, अनुमति या छूट प्रदान की गई हो; अथवा कोई दस्तावेज़ या लिखत निष्पादित

की गई हो; अथवा कोई निर्देश जारी किया गया हो; अथवा कोई कार्यवाही की गई हो या कोई दंड, सजा, जब्ती या जुर्माना अधिरोपित किया गया हो, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं है, इस अधिनियम के संगत उपबंधों के अधीन किया गया या की गई मानी जाएगी।

(3) उपधारा (2) में विशिष्ट विषयों का उल्लेख, **सामान्य उपबंध अधिनियम, 1897** की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर, निरसन के प्रभाव के संबंध में, किसी प्रकार की प्रतिकूलता या प्रभाव नहीं डालेगा।
1897 का 10

डॉ. राजीव मणि
सचिव, भारत सरकार